फा.सं.एफ.1/28(08)/2023-भ.-III
संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती-III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	समावेशी शिक्षा शाखा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में पर्यवेक्षक, समावेशी शिक्षा जिला के पद की 03 (तीन) अनारक्षित रिक्तियां।
विज्ञापन सं.	08/2023
रिक्ति सं.	23040804322

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक:** (**i**) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (**ii**) बी.एड. (विशेष शिक्षा)। या बी.एड. (सामान्य शिक्षा) विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा। या बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र। या विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। या विशेष शिक्षा (बहु दिव्यांगता : शारीरिक और तंत्रिका संबंधी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। या विशेष शिक्षा (चलने में असमर्थता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने में माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। या बधिरों को पढ़ाने में वरिष्ठ डिप्लोमा। या दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को पढ़ाने में बी.ए., बी.एड.। (**iii**) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ पंजीकरण। **(ख) अनुभव:** दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय योग्यता (डी क्यू)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशेष शिक्षा में पीएच.डी.।

अपनाए गए मानदंड	i) संवीक्षा, पहले, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन आवेदन में भरी सूचना के आधार पर की गई है और केवल तभी जब उसमें दी गई सूचना के अनुसार आवेदक के पद के लिए पात्र पाए जाने पर, आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है। ii) आवेदनों की संवीक्षा संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। iii) संवीक्षा हेतु केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीद्वारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख और वा.यो. के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। iv) अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार, इस मामले में एम.एड. योग्यता को मास्टर डिग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। v) ऐसे उम्मीदवारों पर विचार किया गया है जिन्होंने ओआरए के अनुभव मॉड्यूल में अपने अनुभव का उल्लेख नहीं किया है लेकिन ओआरए के विविध मॉड्यूल में इसका उल्लेख किया गया है और अपेक्षित समर्थित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। तथापि, वे आवेदन जिनमें अ.यो. धारित करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए है लेकिन ओआरए में इसका कहीं भी दावा नहीं किया गया है, उन्हें उपर्युक्त मानदंड संख्या: i एवं iii के संदर्भ में जैसा भी मामला हो एलईक्यू-क, एलईक्यू-ख या एलडीक्यू के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है। vi) आयोग के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। vii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव

	का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए है। ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

इस भर्ती मामले का संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 30.04.2024 को अपलोड किया गया था, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 10.05.2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

दिनांक 27.05.2024 तक 28 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इनकी जांच की गई है। ई-मेलों और अभ्यावेदनों की पुनःजांच, ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव संबंधी किए गए दावों, ओआरए के साथ प्राप्त समर्थक दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और मापदंडों के सन्दर्भ में की गई है। तदनुसार, आयोग के परिणामी निर्णय निम्नानुसार हैं:-

अनुक्रमांक 027, 028, 032, 046, 049, 065, 095, 118, 142, 150, 195 एवं 196 को सरकार से आयु में छूट संबंधी उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम रूप से लघुसचीबद्ध किया गया था। पुनः जांच के परिणामस्वरूप, उक्त अनुक्रमांकों की अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 130 को नाम की वर्तनी में अंतर के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। उक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अनंतिमता संबंधी शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 162 को एम ए (मनोविज्ञान) डिग्री की प्रति जमा करने के संबंध में अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गथा था। तथापि, यह सूचित किया गया है कि उक्त को, चयन होने पर, कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह स्वीकार्य नहीं है और इसलिए अनुक्रमांक 162 का आवेदन अपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

अनुक्रमांक 071, 094, 096, 124, 159 एवं 164 को उचित अनुभव प्रमाण-पत्र में कमी के कारण अस्वीकार किया गया था। इन उम्मीदवारों ने अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन दिए है और नवीन/अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत की हैं। विस्तृत जांच करने पर यह पाया गया है कि अनुक्रमांक 94 को छोड़कर शेष सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र क्रम में हैं। अतः इन्हें लघुसूचीबद्ध कर लिया गया है। अनुक्रमांक 94 ने सूचित किया है कि अनुभव प्रमाण-पत्र, साक्षात्कार के दिन जमा कराया जाएगा, जो स्वीकार्य नहीं है।

अनुक्रमांक 003 को एलईक्यू क (**ii**) के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। अनुक्रमांक 003 ने अब अपेक्षित योग्यता धारित करने का दावा किया है और समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चूंकि, ओआरए

में ईक्यू क (**ii**) का कोई दावा नहीं किया गया है, वर्तमान दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अनुक्रमांक 005, जिनको एलडीक्यू के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था, अब यह सूचना दी है कि उनकी पीएच.डी संगत विषय में है। उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक है, अतः लघुसूचीबद्ध कर लिया गया है।

आवेदन संख्या 19915264581, अपना अनुक्रमांक ढूंढ नहीं पा रहे थे। उनका अनुक्रमांक 002 है और वे विचाराधीन क्षेत्र से बाहर है क्योंकि उनके पास संगत क्षेत्र में पीएच.डी अथवा 9 वर्ष और 3 महीने के अनुभव नहीं है।

अनुक्रमांक 024, 025, 033, 054, 063, 078, 106, 146, 153 एवं 189 विचाराधीन क्षेत्र में नहीं हैं क्योंकि उन्होंने न तो संगत विषय में पीएच.डी डिग्री का दावा किया है और न ही संगत क्षेत्र में 9 वर्ष और 3 महीने या उससे अधिक के अनुभव का दावा किया है और तदनुसार इनको एलईसी (बढ़ाए गए मापदंड में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। उन्होंने अब निम्नलिखित आधार पर अभ्यावेदन दिया है:-

- अनिवार्य अनुभव है किंतु बढ़ाया गया अनुभव नहीं है।
- वर्तमान या अनिवार्य अनुभव का ही दावा किया है, जबकि उनके पास अधिक अनुभव है।
- पूर्व सूचना के बिना मापदंड बढ़ाने के कारण असंतुष्ट।
- लघुसूचीबद्ध करने का कार्य भर्ती परीक्षण तथा साक्षात्कार के आधार पर होना चाहिए।
- अब अपेक्षित अनुभव प्राप्त हैं (अंतिम तारीख के बाद)
- अपनाए गए मापदंड से संतुष्ट नहीं। आदि

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि रिक्ति विज्ञापन में "**चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त सूचना**" के भाग 3 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जब किसी प्रत्येक पद के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग किन उपायों को अपनाकर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा में कम कर सकता है। इसे नीचे पुनःउद्धृत किया जाता है:-

"3. *न्यूनतम अनिवार्य योग्यता:* सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हो। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी – **I:** *निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। "*

टिप्पणी – **II:** *प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:*

(क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता निर्धारित है"।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखति नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षण का आयोजन करके। सामान्यतया अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षण के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो, सभी का उल्लेख करें।"

संबंधित उम्मीदवारों ने या तो इन अनुदेशों को नहीं पढ़ा है या इसको समझने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, लघुसूचीबद्ध करने हेतु इनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, प्राप्त सभी अभ्यावेदनों की जांच करने के पश्चात्, अन्य पांच उम्मीदवारों को भी लघुसूचीबद्ध किया गया है। तथापि, अन्य उम्मीदवारों यथा अनुक्रमांक 002, 003, 024, 025, 033, 054, 063, 078, 094, 106, 146, 153, 162 एवं 189 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं है। इसलिए, इनके अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रखा जाता है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है

संवीक्षा

<u>तीन (03) अनारक्षित रिक्तियां:</u>

मापदंड: (i) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) + वा.यो. या
(ii) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) को 09 वर्ष और 03 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाया गया।

(i) अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वा.यो.

<u>साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु</u>:

अनुक्रमांक:-
005 072 130 142 161 169

(06 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत</u>:

<u>एलईक्यू क (i)</u>

अनुक्रमांक 100

(01 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण</u>:

कारण	अनुक्रमांक

अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता।	035
अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता और पीएच.डी एवं अंकतालिका नहीं है।	111
नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/ सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/ *उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र /स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।*	

(02 उम्मीदवार)

(ii) अ.यो (क) + अ.यो (ख) को 09 वर्ष और 03 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाया गया।

<u>साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु</u>:

अनुक्रमांक:-

027 028 029 032 036 041 046
049 062 064 065 071 080 091
095 096 117 118 124 125 130^
134 150 156 159 160 164 184
187 190 195 196 202

(33 उम्मीदवार)

^ दोनों मापदंड के तहत लघुसूचीबद्ध किए गए।
अतः, दोनों मापदंडों के माध्यम से लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या:

(38 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत</u>:

अधिक आयु:

069

(01 उम्मीदवार)

एलईक्यू (क(i))

93 100* 123 197

(04 उम्मीदवार)

*** दोनों मापदंडों के तहत अस्वीकार किए गए।**

एलईक्यू (क(ii))

003 183

(02 उम्मीदवार)

<u>एलईक्यू (ख)</u>:

अनुक्रमांक:- 099

(01 उम्मीदवार)

एलईसी:

अनुक्रमांक:- 005^ 131

^ मानदंड (i) के तहत लघुसूचीबद्ध।

अतः, अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या:

(01 उम्मीदवार)

अपूर्ण:

कारण	अनुक्रमांक
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	026, 081, 148
अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता।	094, 111^, 129, 141
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे तथा सरकार से आयु में छूट प्रमाण-पत्र से मेल नहीं खाता।	006
अ.यो (क(ii) डिग्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।	060
अ.यो (क(i) डिग्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।	162
नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/ सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवारों द्वारा स्वयं स्व-प्रमाण-पत्र/ स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(10 उम्मीदवार)

^ दोनों मापदंडों के तहत अस्वीकृत।

अतः, अपूर्ण के तहत अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या:

(9 उम्मीदवार)

शेष सभी उम्मीदवारों को एलईसी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।

(149 उम्मीदवार)

1. इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
2. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके **अनुक्रमांक** सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-क (i) – अनिवार्य योग्यता-क (i) में कमी।

एलईक्यू-क (ii) – अनिवार्य योग्यता-क (ii) में कमी।

एलडीक्यू – वांछनीय योग्यता में कमी।

एलईक्यू-ख- अनिवार्य योग्यता-ख में कमी।

एलईसी– बढ़ाए गए मापदंड में कमी।

एनओडी– कार्य का स्वरूप।

ई सी –अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता /उप सचिव (भ.-III)